



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2019, शनिवार/अग्रहायण 3—अग्रहायण 9, 1941
No. 48] NEW DELHI, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2019, SATURDAY/AGRAHAYANA 3—AGRAHAYANA—9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

का.आ. 2006.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री दीपक कुमार (जन्म तिथि: 1.8.1964) को तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक, सुश्री रेनी अजीत के स्थान पर इण्डियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 18th September, 2019

S.O. 2006.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Deepak Kumar (date of birth : 1.8.1964) as Director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank with immediate effect and until further orders, *vice* Ms Reeny Ajith.

[F. No. 6/3/2011-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019

का. आ. 2007.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव (जन्म तिथि 22.1.1962) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 18.9.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 1st October, 2019

S.O. 2007.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby posts Shri Ch. S. S. Mallikarjuna Rao (date of birth: 22.1.1962), Managing Director and Chief Executive Officer in Allahabad Bank as Managing Director and Chief Executive Officer in Punjab National Bank, with effect from the date of assumption of office, till 18.9.2021 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2008.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री गौतम गुहा (जन्म तिथि: 16.1.1955) को पुनः नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के आमेलन, अर्थात् 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2008.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Shri Gautam Guha (DoB: 16.1.1955) as part-time non-official director on the Board of Directors of Allahabad Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the amalgamation of the bank *i.e.* 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2009.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पद्मनाभन विट्टल दास (जन्म तिथि: 2.5.1950) को पुनः नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के आमेलन, अर्थात् 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2009.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Shri Padmanaban Vittal Dass (DoB: 2.5.1950) as part-time non-official director on the Board of Directors of Indian Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the amalgamation of the bank *i.e.* 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2010.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री वंदना कुमारी जेना (जन्म तिथि: 10.7.1955) को पुनः नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के आमेलन, अर्थात् 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सिंडिकेट बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2010.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Ms Vandana Kumari Jena (DoB: 10.7.1955) as part-time non-official director on the

Board of Directors of Syndicate Bank, from the date of notification of her re-nomination for a period of one year, or until the amalgamation of the bank *i.e.* 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2011.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री जी. रमेश (जन्म तिथि: 25.6.1956) को पुनः नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के आमेलन, अर्थात् 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सिंडिकेट बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2011.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Shri G. Ramesh (DoB: 25.6.1956) as part-time non-official director on the Board of Directors of Syndicate Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the amalgamation of the bank *i.e.* 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2012.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एस. रघुनाथ (जन्म तिथि: 24.5.1957) को पुनः नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के आमेलन, अर्थात् 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2012.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Shri S. Raghunath (DoB: 24.5.1957) as part-time non-official director on the Board of Directors of Canara Bank, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the amalgamation of the bank *i.e.* 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2013.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री माला श्रीवास्तव (जन्म तिथि: 4.11.1954) को पुनः नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के आमेलन, अर्थात् 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2013.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby re-nominates Ms Mala Srivastava (DoB: 4.11.1954) as part-time non-official director on the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce, from the date of notification of her re-nomination for a period of one year, or until the amalgamation of the bank *i.e.* 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2014.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बिजू वरक्के (जन्म तिथि: 22.12.1965) को अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2014.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Shri Biju Varkkey (DoB: 22.12.1965) as part-time non-official director on the Board of Directors of Bank of Baroda, for a period of one year from the date of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2019

का.आ. 2015.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (3) के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री कृष्णप्पा रमेश (जन्म तिथि:

13.1.1957) को पुनः नामित किए जाने की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के आमेलन, अर्थात् 31.3.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I (खंड-III)]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 2015.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby re-nominates Shri Krishnappa Ramesha (DoB: 13.1.1957) as part-time non-official director on the Board of Directors of Union Bank of India, from the date of notification of his re-nomination for a period of one year, or until the amalgamation of the bank *i.e.* 31.3.2020, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 6/1/2018-BO-I (Vol.III)]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.